न्यायालय राज. सरकार

नाम पक्षकार :- अति. जिला कलक्टर कोटपूतली

केस नं. 16/2020

29.7.21	पत्रावली पेशाई सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय एवं ती अनुपालन का सम्बन्धित होने पर अधिवक्तागण बारम्बार कोटपूतली द्वारा कोर्ट में उपस्थित रखा है। पत्रावली तथा P.O. हाई कोर्ट जयपुर बेंच के पत्रावली मांगने के आदेशानुसार दिनांक 5.8.21 को पेश हो।
5.8.21	पत्रावली पेशाई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के संशोधित तारीख पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते शेष की सुनी हेतु पत्रावली दिनांक 11.8.21 को पेश हो।
11.8.21	पत्रावली पेशाई। वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 23, 24 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 26 व 27 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आये। वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर not-press किया है तथा अपीलान्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र रोड़ा किये जाने का पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि तहसीलदार के आदेश से इन्तकाली नोट नामान्तरण संख्या 27, विजयि दिनांक 30.6.81 उक्त खेड़ी मुक्कदा से लिस्ट अपील पेश की गई थी। अपीलार्थी उपरोक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है अतः अपीलार्थीगण की अपील को रोड़ा किये जाने की अनुमति प्रदान करें। अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील मुकदमा के प्रार्थना पत्र वापस अपील रोड़ा किये जाने का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण की आदेशीका से नोट शीट का अंकन किये जाने पर पाया कि अपीलार्थी उपरोक्त उनवानी अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है एवं प्रकरण में आगे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कराना चाहती है। इसलिए उपरोक्त उनवानी अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। विजयि लिये इजलास सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)